

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2016

1. श्री शम्भू
2. श्री मंगना
3. श्री छगना
4. श्रीमति सुगनी, समस्त पिसरान – मेवा गुर्जर, समस्त उम्र – वयस्क, जाति गुर्जर निवासी ग्राम हनुतिया, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर, राजस्थान।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नारायण पुत्र श्री गंगाराम, उम्र वयस्क
2. श्री हिरा पुत्र श्री मूला जी जाट, उम्र वयस्क
3. श्री रामकरण पुत्र श्री नानू, उम्र वयस्क, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम हनुतिया,
4. श्री काना पुत्र श्री हेमा, उम्र वयस्क, जाति रावत, निवासी ग्राम हनुतिया तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
5. ग्राम सेवक ग्राम पंचायत हनुतिया, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम हनुतिया पटवार मंडल हनुतिया भू0 अ0 नि0 क्षेत्र जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 218 रकबा 13-10-00 बीघा उनकी खुदकाशत से खातेदारी की भूमियां की भूमियां है जिनमें पडौसी काशतकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम हनुतिया की जमाबंदी संवत् 2069-72 के खाता संख्या 681 ख0 न0 218 प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि -

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम हनुतिया स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 218 में मौका कमीशनर रु 3000/- कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।



(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

